

# 07




आदिकृता की  
आताज



किरण एक पढ़ी लिखी महिला है जो अनुसूचित जाति समुदाय से है। किरण का परिवार गुजर बसर के लिए दूसरों के घोतों में काम करता है।




एक दिन, गाँव के पास एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन होता है!



किरण सोचती है कि क्यों न नयी फैक्ट्री में नौकरी के लिए आवेदन किया जाये



फैक्ट्री में आवेदन के बाद किरण को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।



अपने बारे में बताइये?

मैं अपने कॉलेज में डिस्ट्रिंक्शन से पास हुई हूँ। आप एक बार मेरी मार्कशीरे और डाक्यूमेंट्स देख लीजिए।

हाँ आपके अंक तो अच्छे आये हैं।  
आप काफी प्रतिभाशाली लग रही हैं।

इंटरव्यू के समय

### जाति प्रमाण पत्र देखने के बाद

मुझे नहीं लगता कि आप जैसे  
लोगों के लिए हमारे यहाँ कोई  
नौकरी है।  
निकलो यहाँ से....!!

### किरण को एछास

होता है कि सिर्फ उसकी जाति के कारण उसे नौकरी  
से वंचित किया जा रहा है।



उसे परेशानी में अपनी मित्र की बात याद आती है  
जिसने उसे कानूनी सलाह और जानकारी पाने  
के लिए न्याय सहायक से मिलने का सुझाव दिया था।

पर सर.....

### किरण न्याय सहायक से मिलने जाती है

नमस्ते मुझे मेरी मित्र ने बताया कि आप  
न्याय सहायक हैं, मेरा एक मुद्दा है जो  
जातिगत भेदभाव से संबंधित है।



आपकी परेशानी को समझता हूँ।  
मैं आपका केस टेली-लॉ सेवा में  
रजिस्टर कर देता हूँ, आपको वकील  
सलाह दे देंगे।



मैंने अपने गांव के पास ही खुली फैक्ट्री में जौकरी के लिए आवेदन किया था, पर इंटरव्यू के दौरान मेरा जाति प्रमाण पत्र देखने के बाद मैनेजर ने मुझे अपमानित करके निकाल दिया।



केस रजिस्ट्रेशन के बाद वकील का कॉल आता है।



नमस्ते किरण जी, मैं टेली-लॉ से  
अधिवक्ता विकास बात कर रहा हूँ।  
आपने केस के विवरण में जातिगत  
भेदभाव से संबंधित मामलों में  
जानकारी मांगी थी, बताइये।

भारतीय संविधान और एससी/एसटी अधिनियम के तहत,  
किसी को भी जाति के आधार पर जौकरी से इनकार नहीं  
किया जा सकता। आपको समानता और सम्मान का अधिकार है। आप निर्धारित प्रारूप पर राष्ट्रीय एसटी/एससी आयोग में  
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके अतिरिक्त,  
आप एससी/एसटी के राज्य कार्यालय से भी संपर्क कर  
सकती हैं और कॉल लेटर आदि जैसे सहायक दस्तावेजों के  
साथ जाति के आधार पर भेदभाव का उल्लेख करते हुए एक  
आवेदन जमा कर सकती हैं।





मेरे साथ हुए जातिगत भेदभाव के खिलाफ मुझे मेरे कानूनी अधिकारों की सही जानकारी दे कर टेली-लॉने ने मुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। वकील से मिली जानकारी और प्रोत्साहन के आधार पर मैंने कार्यवाई करने का फैसला लिया। मैंने एससी/एसटी के राज्य कार्यालय से भी संपर्क कर सभी जल्दी दस्तावेजों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव का उल्लेख करते हुए एक आवेदन जमा किया। मेरी बात को गंभीरता से लिया गया और फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की गयी साथ ही मुझे मेरी नौकरी भी मिली जिसकी में हकदार थी।

